उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग-2
संख्या-264/2024/780335/CN-92918-41-2-2024-469(सा0)/2012
लखनऊ :: दिनांक 25 अक्टूबर, 2024

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के प्राविधानानुसार उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के माध्यम से पर्यटन विभाग के अधीन पर्यटक अधिकारी के पद से क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/प्रचार अधिकारी के पद पर पदोन्नति द्वारा नियमित चयन हेतु लोक सेवा आयोग प्रयागराज में दिनांक 09.10.2024 को सम्पन्न बैठक की उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-52(2)/28/पी/एस-1/2024-25, दिनांक 16.10.2024 द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के क्रम में अधोलिखित तालिका में वर्णित अधिकारियों को पर्यटक अधिकारी पद से कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ''क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी'' (वेतनमान रू0 15600-39100, ग्रेड-पे रू0 5400/-, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0	ज्येष्ठता क्रमांक	अधिकारी का नाम	चयन वर्ष
-1-	-2-	-3-	-4-
1	03	श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा	2023-24
2	05	श्री शक्ति सिंह	2024-25

2. प्रश्नगत चयन परिणाम/उपर्युक्तानुसार पदोन्नति, इससे सम्बन्धित यदि कोई याचिका/प्रत्यावेदन लम्बित हों, तो उसमें पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

3. उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 (यथासंशोधित) में निहित व्यवस्था के तहत उपर्युक्त पदोन्नत अधिकारियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

4. उपर्युक्त पदोन्नत अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

5. उपर्युक्त पदोन्नत अधिकारियों के नियमित तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे। नियमित तैनाती होने तक उक्त अधिकारी अपने वर्तमान तैनाती स्थल पर पूर्ववत कार्य करते रहेंगे।

6. उपर्युक्त पदोन्नत अधिकारियों की ज्येष्ठता का निर्धारण उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (यथासंशोधित) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार बाद में की जायेगी।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ।
3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज को लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-52(2)/28/पी/एस-1/2024-25, दिनांक 16.10.2024 के सन्दर्भ में।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ ।
5- निदेशक, पर्यटन उ0प्र0, लखनऊ
6- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, लि0, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0, लखनऊ।
9- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0, लखनऊ।
10- सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली में रखे जाने हेतु।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।